सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00043

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 09/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

(नमूना विक्रेता)

1. श्री सुरजाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम गुरूड़ा
   मै0 अंशु आईसक्रीम, न्यू धानमण्डी रोड़, वार्ड नम्बर 01, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी–186 रामदास कॉलोनी, डा0 भाकर वाली गली, ववार्ड नं01 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

(मालिक एवं लाईसैंसी)

2. श्री सुभाष चुघ पुत्र श्री सुन्दरलाल।
   मै0 अंशु आईसक्रीम, न्यू धानमण्डी रोड़, वार्ड नम्बर 01, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– वार्ड नम्बर–1, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2)/58

निर्णय दिनांक : 18.06.2019

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.06.2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** अंशु आईसक्रीम, न्यू धानमण्डी रोड़, वार्ड नम्बर 01, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर पहुचें। वहां पर श्री सुरजाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम गुरूड़ा उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर अंशु आईसक्रीम निरीक्षण किया तो उपरोक्त फैक्टरी में रखी एक लोहे की कडाही में लगभग 20 लीटर कुल्फी का तैयार घोल रखा था जिसको कुलफी क सांचों में भरकर आमजन को विक्रय हेतु कुल्फियां तैयार की जा रही थी। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच **के–903** के नमूनीकरण के लिए इस कडाई के घोल में से 1.200 कि.ग्रा. घोल (कुल्फी) खरीदी जिसकी कीमत 160/–रूपये (अखरे एक सौ साठ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी एवं श्री चंदा चुध के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **कुल्फी** विक्रेता श्री सुरजाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम गुरूड़ा एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कुल्फी** बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलो में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–903** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–903** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4--4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे **कुल्फी** को नियमानुसार जब्त कर नमूना विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विकता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/947/एक्ट/2018/1045 दिनांक 27.06.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–903 कुल्फी अमानक स्तर SUBSTANDARD** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सुरजाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम गुरूड़ा **मै0**, अंशु आईसक्रीम, न्यू धानमण्डी रोड़, वार्ड नम्बर 01, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **कुल्फी** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2)/58** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.05.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री सुरजाराम पुत्र श्री प्रहलादराम गुरूड़ा (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **कुल्फी** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **कुल्फी** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा । प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00043

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभिगुक्त से लिया गया **कुल्फी** का सैम्पल **के–903** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/947/ एक्ट/2018/1045 दिनांक 27.06.2018 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2)/58** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त श्री सुरजाराम पुत्र श्री प्रहलादराम गुरूड़ा (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **कुल्फी** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **कुल्फी** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा । प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **कुल्फी** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) का उल्लघन है तथा जुर्माने योग्य अपराध है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त श्रीसुरजाराम पुत्र श्री प्रहलादराम गुरूड़ा (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर **SUBSTANDARD कुल्फी** विक्रय करने पर धारा **26(2)(2)/51 एवं 31(2)/58** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 10000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **कुल्फी** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर